Popular Front of India

+91 11 46526919
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

09 जुलाई 2021

मोहन भागवत का 'शांति भाषण' आरएसएस के अमल से टकराती केवल एक बयानबाज़ीः पॉपुलर फ्रंट

नई दिल्लीः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के द्वारा पारित प्रस्ताव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुसलमानों से संबंधित टिप्पणी को केवल एक बयानबाज़ी करार दिया गया जिसे खुद आरएसएस नहीं मानता।

गाज़ियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए, भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू यह कहता है कि यहां एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वह हिंदू नहीं है। यह भारत की मौजूदा सामाजिक व राजनीतिक परिस्थिति का एक सतही वर्णन है मानो यहां सिर्फ हिंदू–मुस्लिम की समस्या है। दरअसल यह संघ परिवार और खुद भागवत द्वारा बढ़ावा दी जा रही साम्प्रदायिक फासीवादी विचारधारा की असल समस्या से लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। आरएसएस के मौजूदा और पिछले काम अपने आप में भागवत के शब्दों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत हैं। एक तरफ आरएसएस नेता बाहर बड़े मीठे–मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं। 'आज़ाद और सब को लेकर चलने वाली भाषा' का यह नया अंदाज़ इस बात की निशानी नहीं है कि आरएसएस के अंदर नर्मी पैदा हो रही है, बल्कि यह उस डर की निशानी है कि कहीं आरएसएस की कट्टरता का खुला इज़हार उनके लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान का कारण न बन जाए। आरएसएस और बीजेपी ने बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार बंद नहीं किया है। अपने बयान के विपरीत वे मुसलमानों को बदनाम और अलग–थलग करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ नाज़ी कानूनों को एक के बाद एक लागू करने में लगे हुए हैं। मुसलमानों की हत्या की खुली दावत देने वाले नेताओं को शायद ही कभी कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसके विपरीत उन्हें राजनीतिक इनाम से नवाज़ा जाता है।

एक अन्य प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एनईसी ने केंद्रीय व राज्य सरकारों से बढ़ते इस्लामोफोबिया पर रोक लगाने की अपील की, जिसके कारण निर्दोष मुसलमानों पर हिंसा बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग और हमलों की घटनाओं में खतरनाक हद तक बढ़ोतरी हुई है। यह इस्लामोफोबिया पर आधारित लगातार अफवाहों, भड़काऊ बयानों और मुसलमानों पर हमलों की खुली दावत का सीधा परिणाम है। पॉपुलर फ्रंट ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर अधिकारी इस स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रहे तो यह बड़े पैमाने पर हिंसा का रूप ले लेगा।

एक अन्य प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एनईसी ने कहा कि मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव सरकार का देश में आए आर्थिक व जन स्वास्थ्य संकट से निपटने में पूरी तरह से अपनी नाकामी को स्वीकार करना है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मोदी के कुप्रबंधनों, प्रशासनिक नाकामियों और पॉलिसी की गलतियों के नतीजे में ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसने हज़ारों लोगों की जान ले ली और जो

बड़े पैमाने पर गरीबी और बेरोज़गारी का कारण बनी। हर एक चीज़ का सेहरा अपने सर बांधने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले मोदी अब दूसरों पर आरोप डालकर तमाम नाकामियों से अपना दामन झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मोदी इस हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं कि अब तक उनकी सरकार नाकाम ही रही है।

गृह मंत्री अमित शाह के नवगठित सहयोग मंत्रालय को संभालने के जोश के पीछे खतरनाक मंसूबे शामिल हैं। गुजरात में, वे सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को आरएसएस के कंट्रोल में लाने में सफल रहे थे, जिसकी बिना पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़े हर एक काम के लिए लोग आरएसएस पर निर्भर हो गए थे। यह पूरे देश की कोऑपरेटिव और थ्रिफ्ट सोसाइटियों का भगवाकरण है। इससे बीजेपी को ज़बरदस्त राजनीतिक फायदा हासिल होगा। देश के किसानों, मजदूरों और कम आमदनी वाले समूहों की बहुतायत एक या एक से ज़्यादा तरीकों से कोऑपरेटिव सोसाइटी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। अगर यह किसी राजनीतिक खेमे के कंट्रोल में आ गई, तो उनके लिए वोटरों को प्रभावित करना आसान हो जाएगा। इसलिए यह एक राजनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य वोट बैंक है। गृह मंत्री के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को संभालने का इसके अलावा कोई कारण नहीं है।

एक और प्रस्ताव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने फादर स्टेन स्वामी की जेल में दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर गहरे दुख और सदमे का इज़हार किया। सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जो हम फादर को दे सकते हैं वह सभी काले कानूनों को खत्म करना है जो सरकार को लोगों के मानव अधिकारों को छीनने की इजाज़त देते हैं। वह यूएपीए की धारा 43डी (5) को चुनौती देने वाली अपनी एक याचिका का जवाब मिले बिना ही इस संसार को छोड़ गए, जो कि पूर्ण रूप से संविधान की भावना के खिलाफ है और जो ज़मानत मिलने को असंभव बना देता है। इस प्रावधान के अनुसार, अदालतों को मुकदमे पर प्रश्न करने तक की इजाज़त नहीं है और उन्हें बिना किसी जांच के सरकार के आरोपों को मानना ही पड़ेगा। भले ही अदालत ने स्टेन स्वामी के लिए प्राइवेट मेडिकल केयर की पेशकश की थी, लेकिन वह ज़मानत पर अड़े रहे। उनकी मौत समाज के सभी वर्गों विशेषकर न्यायपालिका को इस सवाल के इर्द–गिर्द ला खड़ा करती है कि क्या यूएपीए जैसे कानून होने चाहिएं। यह अच्छी बात है कि विपक्षी नेता यूएपीए के दुरुपयोग के खिलाफ आगे आए हैं। लेकिन यह केवल दुरुपयोग का मामला नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में यूएपीए जैसे काले कानून के लिए कोई जगह नहीं है, और यूएपीए को खत्म करने के अलावा कोई दूसरी मांग नहीं होनी चाहिए। पॉपुलर फ्रंट विपक्षी नेताओं से अपील करता है कि वे यूएपीए और औपनिवेशक युग के राजद्रोह कानून को पूरे तरीके से खत्म करने की मांग के साथ आगे आएं।

डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली